



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20122022-241250
CG-DL-E-20122022-241250

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 794]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 20, 2022/अग्रहायण 29, 1944

No. 794]

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 20, 2022/AGRAHAYANA 29, 1944

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 दिसम्बर, 2022

सं. 31/2022 - सीमा शुल्क (एडीडी)

सा.का.नि. 890(अ).—जहां कि चीन जनवादी गणराज्य (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत देश से संदर्भित किया गया है) में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित और भारत में आयातित “स्टेनलेस-स्टील सीमलेस ट्यूब्स और पाइप्स”, जो कि सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की प्रथम अनुसूची के अध्याय शीर्षक 7304 के अंतर्गत आते हैं, के मामले में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी अधिसूचना संख्या 6/13/2021-डीजीटीआर, दिनांक 23 सितम्बर, 2022, के साथ पठित शुद्धि-पत्र अधिसूचना दिनांक 30 सितम्बर 2022, जिन्हें क्रमशः 23 सितम्बर, 2022 और 30 सितम्बर 2022 को भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग I, खंड 1 में प्रकाशित किया गया था, में निर्दिष्ट प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि –

- विषयगत वस्तु का विषयगत देशों से भारत को निर्यात इसके सामान्य से कम मूल्य पर किया गया था;
- विषयगत देशों से होने वाले इस प्रकार के आयात से यहां के उद्योगों को सारवान क्षति हुई है; और
- इस प्रकार की सारवान क्षति विषयगत देशों से हुए विषयगत माल के फालतू आयात के कारण हुई है;

और घरेलू उद्योग को हुई इस क्षति को दूर करने के लिए विषयगत देशों में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित और भारत में आयातित विषयगत वस्तुओं के आयात पर प्रतिपाटन शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की है;

अतः, अब सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका आंकलन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 18, 20 और 23 के साथ पठित उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप-धारा (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, उक्त निर्दिष्ट प्राधिकारी के उपर्युक्त अंतिम निष्कर्षों के आधार पर, एतद्वारा, विषयगत वस्तु, जिसका विवरण नीचे सारणी के कॉलम (3) में निर्दिष्ट है, जो कि उक्त सारणी के कॉलम (2) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के अध्याय शीर्षक के अंतर्गत आती हैं, कॉलम (4) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देशों में मूलतः उत्पादित है, कॉलम (5) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट देशों से निर्यातित है, कॉलम (6) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट उत्पादकों से उत्पादित है और भारत में आयातित है पर कॉलम (7) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट राशि के बराबर की दर से, कॉलम (9) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट मुद्रा में और कॉलम (8) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट माप इकाई के अनुसार प्रतिपाटन शुल्क लगाती है, यथा:-

सारणी

क्र. सं.	शीर्षक/उप शीर्षक	वस्तु का विवरण	मूलतः उत्पादन का देश	निर्यातक देश	उत्पादक	राशि	इकाई	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	7304	**स्टेनलेस-स्टील सीमलेस ट्यूब्स और पाइप्स	चीन जन. गण.	चीन जनवादी गणराज्य सहित कोई भी देश	झेजियांग बंगनुओ स्टील पाइप कंपनी लिमिटेड	114	एम टी	यूएसडा.
2.	7304	**स्टेनलेस-स्टील सीमलेस ट्यूब्स और पाइप्स	चीन जन. गण.	चीन जनवादी गणराज्य सहित कोई भी देश	झेजियांग होंगकुआन स्टेनलेस स्टील कं., लि. तथा जेजियांग यिनलोंग स्टेनलेस स्टील कं., लिमिटेड तथा जेजियांग यिनलाई स्टील ट्यूब कं., लिमिटेड	886	एम टी	यूएसडा.
3.	7304	**स्टेनलेस-स्टील सीमलेस ट्यूब्स और पाइप्स	चीन जन. गण.	चीन जन. गण. सहित कोई देश	वेनझोऊ सोडो स्टील मैनुफैक्चरिंग कं., लिमिटेड	1,492	एम टी	यूएसडा.
4.	7304	**स्टेनलेस-स्टील सीमलेस ट्यूब्स और पाइप्स	चीन जन. गण.	चीन जन. गण. सहित कोई देश	झेजियांग हुआटेन स्टेनलेस स्टील मैनुफैक्चरिंग कंपनी लि.	1,005	एम टी	यूएसडा.
5.	7304	**स्टेनलेस-स्टील सीमलेस ट्यूब्स और पाइप्स	चीन जन. गण.	चीन जन. गण. सहित कोई देश	झेजियांग यि जिया वांग स्टील ट्यूब कं. लि.	3,191	एम टी	यूएसडा.
6.	7304	**स्टेनलेस-स्टील सीमलेस ट्यूब्स और पाइप्स	चीन जन. गण.	चीन जन. गण. सहित कोई देश	जियांग जियुलि हाई-टेक मेटल्स कं. लि.	शून्य	एम टी	यूएसडा.
7.	7304	**स्टेनलेस-स्टील सीमलेस ट्यूब्स और पाइप्स	चीन जन. गण.	चीन जन. गण. सहित कोई देश	हुआडि स्टील ग्रुप कं., लि.	शून्य	एम टी	यूएसडा.

क्र. सं.	शीर्षक/उप शीर्षक	वस्तु का विवरण	मूलतः उत्पादन का देश	निर्यातक देश	उत्पादक	राशि	इकाई	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
8.	7304	**स्टेनलेस-स्टील सीमलेस ट्यूब्स और पाइप्स	चीन जन. गण.	चीन जन. गण. सहित कोई देश	जियांगसु वुजिन स्टेनलेस स्टील पाइप ग्रुप कं. लि.	शून्य	एम टी	यूएसडा.
9.	7304	**स्टेनलेस-स्टील सीमलेस ट्यूब्स और पाइप्स	चीन जन. गण.	चीन जन. गण. सहित कोई देश	झेजियांग शिंगशान स्टील पाइप कं. लिमिटेड	शून्य	एम टी	यूएसडा.
10.	7304	**स्टेनलेस-स्टील सीमलेस ट्यूब्स और पाइप्स	चीन जन. गण.	कोई भी	क्रम संख्या 1 से 9 के अलावा कोई अन्य उत्पादक	3,801	मी. टन	यू एस डॉलर
11.	7304	**स्टेनलेस-स्टील सीमलेस ट्यूब्स और पाइप्स	चीन जन. गण. के अलावा कोई अन्य देश	चीन जन. गण.	कोई भी	3,801	मी. टन	यू एस डॉलर

**** स्टेनलेस-स्टील सीमलेस ट्यूब्स और पाइप्स, जिसका व्यास 6 एनपीएस तक शामिल शामिल है, या माप की अन्य इकाई जो इससे तुलनीय हो, चाहे हॉट एक्सट्रूजन प्रक्रिया या हॉट पियरसिंग प्रक्रिया के प्रयोग से विनिर्मित हों और चाहे हॉट फिनिश या कोल्ड फिनिश पाइपों और ट्यूबों के रूप में बेचा जाए, जिनमें डिफेक्टिव्स, गैर-प्राइम और सैंकेंडरी ग्रेड के रूप में आयातित संबद्ध वस्तु शामिल हैं।**

2. इस अधिसूचना के तहत लगाया गया प्रतिपाटन शुल्क इस अधिसूचना के राजकीय राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से पांच वर्ष (यदि इसके पहले इसको वापस नहीं लिया जाता है, इसका अधिक्रमण नहीं किया जाता है या इसमें संशोधन नहीं होता है तो) तक की अवधि के लिए प्रभावी रहेगा और भारतीय मुद्रा में देय होगा।

स्पष्टीकरण – इस अधिसूचना के उद्देश्य से ऐसे प्रतिपाटन शुल्क, की गणना के प्रयोजन हेतु लागू विनिमय दर वही दर होगी जो कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना, जिसे सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समय-समय पर जारी किया गया हो, में विनिर्दिष्ट की गई होगी और इस विनिमय दर के निर्धारण की संगत तारीख वह तारीख होगी जो कि उक्त अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत आगम पत्र में प्रदर्शित होगी।

[फा. सं. सीबीआईसी -190354/243/2022-टीओ (टीआरयू-I)- सीबीईसी]

राजीव रंजन, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th December, 2022

No. 31/2022-Customs (ADD)

G.S.R. 890(E).—Whereas in the matter of ‘Stainless-Steel Seamless Tubes and Pipes’ (hereinafter referred to as the subject goods) falling under chapter heading 7304 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as the Customs Tariff Act), originating in, or exported from China PR (hereinafter referred to as the subject country), and imported into India, the designated authority in its final findings, *vide* notification No. 6/13/2021-DGTR, dated the 23rd September, 2022, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 23rd September, 2022, read with corrigendum notification No. of even number, dated 30th September, 2022, has come to the conclusion that—

- the subject goods have been exported to India from the subject countries below normal values;

- (ii) the domestic industry has suffered material injury on account of subject imports from subject countries;
- (iii) the material injury has been caused by the dumped imports of subject goods from the subject countries,

and has recommended imposition of an anti-dumping duty on the imports of subject goods, originating in, or exported from the subject countries and imported into India, in order to remove injury to the domestic industry.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (5) of section 9A of the Customs Tariff Act read with rules 18, 20 and 23 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Central Government, after considering the aforesaid final findings of the designated authority, hereby imposes on the subject goods, the description of which is specified in column (3) of the Table below, falling under heading of the First Schedule to the Customs Tariff Act as specified in the corresponding entries in column (2), originating in the countries as specified in the corresponding entries in column (4), exported from the countries as specified in the corresponding entries in column (5), produced by the producers as specified in the corresponding entries in column (6), and imported into India, an anti-dumping duty at the rate equal to the amount as specified in the corresponding entries in column (7), in the currency as specified in the corresponding entries in column (9) and as per unit of measurement as specified in the corresponding entries in column (8), of the said Table, namely:-

TABLE

S. No.	Heading	Description of subject goods	Country of origin	Country of export	Producer	Amount	Unit	Currency
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	7304	Stainless-Steel Seamless Tubes and Pipes**	China PR	Any country including China PR	Zhejiang Bangnuo Steel Pipe Co., Ltd.	114	MT	USD
2.	7304	Stainless-Steel Seamless Tubes and Pipes**	China PR	Any country including China PR	Zhejiang HongQuan Stainless Steel Co., Ltd. and Zhejiang Yinlong Stainless Steel Co., Ltd. and Zhejiang Yinlai Steel Tube Co., Ltd.	886	MT	USD
3.	7304	Stainless-Steel Seamless Tubes and Pipes**	China PR	Any country including China PR	Wenzhou Sodo Stainless Steel Manufacturing Co., Ltd.	1,492	MT	USD
4.	7304	Stainless-Steel Seamless Tubes and Pipes**	China PR	Any country including China PR	Zhejiang Huatian Stainless Steel Manufacturing Co., Ltd.	1,005	MT	USD
5.	7304	Stainless-Steel Seamless Tubes and Pipes**	China PR	Any country including China PR	Zhejiang Yi Jia Wang Steel Tube Co., Ltd.	3,191	MT	USD
6.	7304	Stainless-Steel Seamless Tubes and Pipes**	China PR	Any country including China PR	Zhejiang Jiuli Hi-Tech Metals Co., Ltd.	Nil	MT	USD

S. No.	Heading	Description of subject goods	Country of origin	Country of export	Producer	Amount	Unit	Currency
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
7.	7304	Stainless-Steel Seamless Tubes and Pipes**	China PR	Any country including China PR	Huadi Steel Group Co., Ltd.	Nil	MT	USD
8.	7304	Stainless-Steel Seamless Tubes and Pipes**	China PR	Any country including China PR	Jiangsu Wujin Stainless Steel Pipe Group Co., Ltd.	Nil	MT	USD
9.	7304	Stainless-Steel Seamless Tubes and Pipes**	China PR	Any country including China PR	Zhejiang Tsingshan Steel Pipe Co., Ltd.	Nil	MT	USD
10.	7304	Stainless-Steel Seamless Tubes and Pipes**	China PR	Any	Any producer other than serial number 1 to 9	3,801	MT	USD
11.	7304	Stainless-Steel Seamless Tubes and Pipes**	Any country Other than China PR	China PR	Any	3,801	MT	USD

*** Stainless-Steel Seamless Tubes and Pipes with diameter up to and including 6 NPS, or comparable thereof in other unit of measurement, whether manufactured using hot extrusion process or hot piercing process and whether sold as hot finished or cold finished pipes and tubes, including subject goods imported in the form of defectives, non- prime or secondary grades.*

2. The anti-dumping duty imposed under this notification shall be effective for a period of five years (unless revoked, superseded or amended earlier) from the date of publication of this notification in the Official Gazette, and shall be payable in Indian currency.

Explanation. - For the purposes of this notification, rate of exchange applicable for the purposes of calculation of such anti-dumping duty shall be the rate which is specified in the notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue), issued from time to time, in exercise of the powers conferred by section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), and the relevant date for the determination of the rate of exchange shall be the date of presentation of the bill of entry under section 46 of the said Act.

[F. No. CBIC-190354/243/2022-TO(TRU-I)-CBEC]

RAJEEV RANJAN, Under Secy.